

## कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर

क्रमांक

दिनांक

### :: संशोधित कोटेशन आमंत्रण सूचना ::

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी कोटेशन आमंत्रण संख्या 1351 दिनांक 06.04.2022 के माध्यम से सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर के लिए मासिक आधार पर एक वाहन पूर्णतया: संविदा आधार पर किराए पर लिए जाने हेतु व्यक्ति, फर्म एवं ट्रेवल एजेंसी से कोटेशन आमंत्रित किए गए थे। किन्तु वित्त (जीएण्डटी) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के परिपत्र क्रमांक F.2(4)FD/SPFC/2017 dated 05.04.2022 द्वारा प्रथम 1500 किमी. के लिए 27900 रूपए (Service Tax extra if applicable) व कुल 2000 किमी. प्रतिमाह प्रतिवाहन अधिकतम सीमा हेतु 32900 रूपए (Service Tax extra if applicable) की संशोधित दरें जारी की गई हैं।

जिसके क्रम में पूर्व में जारी उक्त विज्ञप्ति में उक्तानुसार दर संशोधन किया जाकर दिनांक 18.04.2022 को समय 11:00 ए.एम तक संशोधित दरानुसार कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। अन्य शर्तें एवं नियम पूर्ववत रहेंगे।

— Sd —  
अध्यक्ष

संविदा किराया वाहन कमेटी  
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-02)

सीकर

दिनांक 8/4/2022

क्रमांक 1413

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ निम्नलिखित को प्रेषित है।

01. संविदा किराया वाहन कमेटी अध्यक्ष/सदस्य श्री.....
02. सूचना पट्टा जिला न्यायालय/कलेक्ट्रेट परिसर, सीकर एवं तालुका कार्यालयों आदि पर चस्पा करनपे हेतु।
03. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, सीकर को जिला न्यायालय, सीकर की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत
04. ....
05. कार्यालय प्रति

अध्यक्ष

संविदा किराया वाहन कमेटी  
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-02)  
सीकर